न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय: अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम मामलात) चूरू (राजस्थान)

लिंक न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू

पीठासीन अधिकारी	–	राजेन्द्र चौधरी, (RJS)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	111/2026 पी.एस. कोतवाली, चूरू
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	–	198/2026
CNR No	–	RJCH010007802026

1– मोहम्मद आसिफ पुत्र अकरम निवासी वार्ड नं. 20, शेखावत कॉलोनी कस्बा, चूरू (राज.)

2– खालिद पुत्र अकरम निवासी वार्ड नं. 20, शेखावत कॉलोनी कस्बा, चूरू (राज.)

3– अखतर अली पुत्र अकरम निवासी वार्ड नं. 20, शेखावत कॉलोनी कस्बा, चूरू (राज.)

4– मोहसिन उर्फ मोसीम पुत्र सतार शेख निवासी वार्ड नं. 20, शेखावत कॉलोनी कस्बा, चूरू (राज.)

5– साहिब हुसैन पुत्र अकरम निवासी वार्ड नं. 20, शेखावत कॉलोनी कस्बा, चूरू (राज.)

– आरोपी/प्रार्थीगण

वि रू द्ध

राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, चूरू (राजस्थान) – अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

उपस्थित:–

1. श्री शौकत अली, योग्य अधिवक्ता – आरोपी/प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री अशोक नागर, योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।
3. श्री इब्राहीम खान, योग्य अधिवक्ता परिवादी की ओर से

– आ दे श:–

दिनांक: 01–07–2026

1– न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय: अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम मामलात) चूरू के अवकाश पर होने से आरोपी/प्रार्थीगण की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अधीन लिंक पीठासीन अधिकारी के रूप में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र की प्रति योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11–05–2026 को परिवादी विक्रम ने हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 10–05–2026 को दोपहर 3:50 बजे वह अपनी ट्रेक्टर ट्रॉली में मिट्टी भरकर लेकर जा रहा था,तब मौके पर उपस्थित मौसमी पुत्र सत्तार, खालिद पुत्र अकरम, अख्तर अली पुत्र अकरम, मो. असीम पुत्र अकरम व साहिल पुत्र अकरम एवं छः सात अन्य व्यक्ति मिट्टी का

Authenticate Document

भराव करने से इन्कार करने लगे तब उसने मौके पर उपस्थित ट्रॉली खाली करने को कहा तो खालीद व अख्तर अली ने उस पर ईंट, पत्थर व कस्सी से हमला कर दिया, जिससे उसके कंधे पर चोट आई। तभी उसके साथ ट्रॉली में मिट्टी भरकर पहुंचे उसके साथ मुकेश, अजय व प्रकश मौके पर पहुंचे और बीच बचाव का प्रयास किया तो मौसेमी, साहिद हुसैन व मो.असीम भी हाथ में पत्थर व ईंटे लेकर पहुंचे व उसे, अजय व प्रकाश के साथ मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया तथा उसकी जेब से दस हजार रूपये निकाल लिये, वगैरह वगैरह। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पी.एस. कोतवाली, चूरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 111/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2),189(2), 307 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2), 117(2) 126(2),189(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किये जाने पर अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने पर यह जमानत का प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

3– बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। योग्य अधिवक्ता आरोपी/प्रार्थीगण का यह तर्क रहा कि आरोपी/प्रार्थीगण निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। आरोपी/प्रार्थीगण से किसी प्रकार की बरामदगी व पूछताछ शेष नहीं है। आरोपी/प्रार्थीगण मजदूरी पेशा व्यक्ति है। दिनांक 10–05–2026 को परिवादी अपने ट्रेक्टर से जमीन में मिट्टी से भराव कर रहे थे, जिस हेतु आरोपीगण ने परिवादी को कहा कि अभी मिट्टी का भराव यहां पर मत करो, वे लोग ईंट कहां से ले जायेंगे, जिस बात पर परिवादी ने नाराज होकर अग्रेसिव होकर झगड़ा किया है। आरोपी/प्रार्थीगण के भागने या रूहपोश होने की संभावना नहीं है। आरोपी/प्रार्थीगण मौतबीर जमानतें पेश करने को तैयार है। अतः आरोपी/प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

4– योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये आरोपी/प्रार्थीगण का जमानत आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

5– बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी/प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 115(2), 117(2), 126(2),189(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के अपराध का आरोप है, किन्तु मजरूब मुकेश, विक्रमसिंह एवं प्रकाश की मेडिकल जांच प्रतिवेदनों को अवलोकन में लिया गया, जिन्हें कोई गंभीर उपहति नहीं पाई गई है। अजय के चोट प्रतिवेदन एवं एक्सरे रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसके कंधे की हड्डी फ्रेक्चर होना पाया गया है। प्रकट होता है कि मजरूबान के Vital Part पर कोई चोटे नहीं है। सरसरी तौर पर यह आया है कि झगड़ा अचानक शुरू हुआ है। आरोपी/प्रार्थीगण का पत्रावली पर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड शून्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए आरोपी/प्रार्थीगण को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Authenticate Document

–: आदेश: –

6– लिहाजा आरोपी/प्रार्थीगण मोहम्मद आसिफ पुत्र अकरम निवासी वार्ड नं. 20, शेखावत कॉलोनी कस्बा, चूरू (राज.), खालिद पुत्र अकरम निवासी वार्ड नं. 20, शेखावत कॉलोनी कस्बा, चूरू (राज.), अखतर अली पुत्र अकरम निवासी वार्ड नं. 20, शेखावत कॉलोनी कस्बा, चूरू (राज.), मोहसिन उर्फ मोसीम पुत्र सतार शेख निवासी वार्ड नं. 20, शेखावत कॉलोनी कस्बा, चूरू (राज.) व साहिब हुसैन पुत्र अकरम निवासी वार्ड नं. 20, शेखावत कॉलोनी कस्बा, चूरू (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक आरोपी/प्रार्थीगण इस न्यायालय के समक्ष पचास हजार रूपये का निजी बन्ध पत्र एवं पचास हजार रूपये राशि की जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करवा लेवे तो उसे इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(राजेन्द्र चौधरी)

7. आदेश आज दिनांक 01–07–2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

MAHESH KUMAR BOHRA

Digitally signed by MAHESH KUMAR BOHRA
Date: 2026.07.02 10:23:47 +0530

(राजेन्द्र चौधरी)

Authenticate Document